बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेस विज्ञप्ति
(शुद्धि पत्र)
महत्वपूर्ण सूचना

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत आप्त सचिव, निजी सहायक एवं आशुलिपिक के स्वीकृत/रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–10000 दिनांक–10.07.15 एवं पत्रांक–3815 दिनांक–11.03.16 के आलोक में योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाने संबंधी पूर्व प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति (PR सं0–1179) में कतिपय त्रुटि के फलस्वरूप यह शुद्धि–पत्र प्रकाशित किया जा रहा है।

2. नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत आप्त सचिव, निजी सहायक एवं आशुलिपिक के स्वीकृत/रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–10000 दिनांक–10.07.15 एवं पत्रांक–3815 दिनांक–11.03.16 के आलोक में विभागीय कार्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निम्न पदों पद संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते है :–

क्र0	पदनाम	रिक्त पद
1.	आप्त सचिव	03
2.	निजी सहायक	03
3.	आशुलिपिक	02

प्राप्त आवेदनों पर नियोजन हेतु पैनल तैयार किया जाएगा, जिसमें कोटिवार रिक्तियों के विरूद्ध संविदा पर नियोजन किया जाएगा।

उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में इच्छुक सेवानिवृत आप्त सचिव/निजी सहायक/आशुलिपिक से रिक्त उक्त पदों पर नियोजन हेतु निम्न शर्तों के अधीन दिनांक–06.06.16 के 6.00 बजे अप0 तक विहित प्रपत्र में ऑन–लाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है :–

1. आवेदक केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार से उक्त पदों से सेवानिवृत हुए हों।
2. 31 मार्च, 2016 को आवेदक की न्युनतम आयु 60 वर्ष एवं अधिकतम आयु 64 वर्ष होना चाहिए। सेवानिवृत कर्मियों की सेवा 65 वर्ष तक मान्य होगी।
3. संविदा अवधि प्रथम चरण के लिए 12 माह की होगी, जिसे 12 माह के अन्तराल पर आवश्यकता एवं सेवा संतोषजनक होने के आधार पर पुनः अनुबंधित किया जाएगा।
4. किसी पद विशेष से सेवानिवृत पदाधिकारी/कर्मचारी का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरूद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान के पद से सेवानिवृत सरकारी सेवक का संविदा पर नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जा सकेगा।
5. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–10000 दिनांक–10.07.2015 के आलोक में मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
6. नियोजन हेतु चयन आदर्श आरक्षण रोस्टर के अनुरूप किया जायेगा।
7. नियोजन के समय स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र देना आवश्यक होगा। साथ ही इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि आवेदक के विरूद्ध कोई निगरानी/अपराधिक मामला किसी न्यायालय में दर्ज नहीं है और कोई विभागीय कार्यवाही नहीं चल रही है।
8. साक्षात्कार के समय आवेदक आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र/पी0पी0ओ0/सेवा इतिहास/सेवापुस्तिका की छायाप्रति (स्वअभिप्रमाणित) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
9. चयन समिति को बिना कोई कारण बताए चयन प्रक्रिया को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार होगा।
10. विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट www.urban.bih.nic.in देखा जा सकता है।

निदेशक नगरपालिका प्रशासन
–सह–संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

D:\Letter. 2015\All Latter 2.docx